21

निगम प्राधिकरण एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में बिना वित्त विभाग की सहमति के पद सृजन आदि न किया जाना

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले निगम, प्राधिकरण एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अपने अधिष्ठान संबंधी प्रकरण शासन को संदर्भित करने विषयक	सं0–446/XXVII(7)/2008, देहरादून, दिनांक–10 दिसम्बर, 2008	13–14

संख्या /XXVII(7)/2008

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त–7 देहरादून दिनांक 10 दिसम्बर 2008

विषयः **प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले निगम, प्राधिकरण एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अपने अधिष्ठान संबंधी प्रकरण शासन को संदर्भित करने विषयक।**

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय निगम, प्राधिकरण एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अपने अधिष्ठान विषयक प्रकरण यथा पदों का सृजन, वेतनमान निर्धारण, समयमान वेतनमान, मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते आदि के प्रकरण प्रशासनिक विभाग, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो एवं वित्त विभाग के सहमति बिना आदेश निर्गत किये गये हैं जो उचित नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रकरण संज्ञान में आये हैं कि बोर्ड की बैठक अधिष्ठान/वित्तीय प्रकरण पर परिचालन के माध्यम से कराई गई परन्तु उसमें न तो वित्त विभाग को सूचना दी गई और न ही वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित किया गया। निदेशकों के बहुमत के आधार पर वित्तीय मामले तथा अधिष्ठान संबंधी प्रकरणों पर बिना शासन के प्रशासनिक विभाग/ वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किये आदेश निर्गत किया जाना अत्यन्त आपत्ति जनक है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए समस्त प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रण में कार्यरत सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों एवं प्राधिकरण आदि के अन्तर्गत पद सृजन, पदनाम परिवर्तन, पदों का उच्चीकरण, वेतनमान निर्धारण, समयमान वेतनमान एवं अन्य सुविधायें कर्मचारियों को देने के पूर्व प्रशासनिक विभाग स्वयं परीक्षण कर यथा आवश्यक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो एवं वित्त विभाग के परामर्श से ही आदेश निर्गत किये जायें। प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि जिन प्रकरणों में, पूर्व में बिना वित्त विभाग के, निर्णय लिये गये हों उनकी विस्तृत सूचना वित्त विभाग को यथा शीघ्र उपलब्ध कराई जाये ।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव

संख्या 546 /XXVII(7)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1: महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून ।
2: समस्त निगम/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारी उत्तराखण्ड ।
3: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी)
सचिव